

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)


आदेश पत्रक

श्री० अफगानी अन्यायी बनाम श्री० अफसर आलम उर्फ कोठु वगैर

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
30-11-17	<p>अगिलेख सं०-एम...152.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी ...लसाड... के अप्राथमिकी सं०-49117 दिनांक-04-11-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि उभय पक्ष के मकान के झगड़े द्वितीय पक्ष का 2 1/2 डी० जमीन का दावा करने का लेकर विवाद एवं अपना द्वितीय पक्ष डाटा जुमही ररवगै का लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 15-12-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p>	
15-12-17	<p align="center">अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल की। दिनांक 05-01-18 को शर्त।</p>	


 कार्यपालक दण्डाधिकारी,
 बुण्डू।


 कार्यपालक दण्डाधिकारी,
 बुण्डू।

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
25-06-18	<p>अभिलेख उपस्थापित प्रथम पत्र अनुपस्थित द्वितीय पत्र अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  25/6/18 </p>